# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
## पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

| मिसल नं0 | तारीख दायर | तारीख फैसल |
|---|---|---|
| 2/प्रा0पत्र/2020 | 07.01.2020 | 10.01.2020 |

विमला बाई पत्नी पुरूषोत्तम जाति जाट निवासी बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

बनाम ...प्रार्थीया

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

उपस्थित अभिभाषक ........अप्रार्थी

अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री नन्द सिंह सोंलकी

अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 202 रकबा 1.3759 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कला पटवार हल्का बड़ून्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है।
2. यह कि प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमाओ से संबधित विवाद है तथा ऐसी सीमा संबधित विवादों का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 मे व्यवस्था की गई है जिसके तहत सीमाओ के संबध मे किसी विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकारी ज्रहां तक सम्भव हो विघमान सर्वेक्षण नक्शों के अधार पर या ऐसे नक्शे उपलब्ध ना हो तो वहा वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा साथ ही मे भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है, और तब तदनुसार सीमा निश्चित करेगा।
3. यह कि प्रार्थीया के द्वारा तहसीदार साहब तालेडा को सीमाज्ञान बाबत आवेदन किया गया था परन्तु प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ठ नहीं है इसलिए प्रार्थीया माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111,128 के तहत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पत्थरगडी) करवाना चाहती है जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है, साथ ही मे प्रार्थीया वैकल्पिक रूप से जी.पी.एस. टेक्नोलोजी से भी भूमि का नाम कराने को तैयार है जिसका खर्चा भी नियमानुसार अदा करने को तैयार है।
4. यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव मे समस्याओ का सामना करना पड रहा है इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण कराना अति आवश्यकता है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि श्रीमान के न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे होने के कारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने व निर्णय करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित फरमावे कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 202 रकबा 1.3759 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान का सर्वेक्षण जी.पी. एस. टेक्नोलोजी अथवा पत्थरगडी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

। को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की और से .वाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्य में प्रार्थीनी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 428 ग्राम ठीकरियाकलां संवत् 2076 की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 428 ग्राम ठीकरियाकलां संवत् 2076 में प्रार्थीनी खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थीनी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार 500/–रू पत्थर गढी शुल्क राजकोष में जमा कर प्रार्थीनी की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि की पत्थरगढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10 .01.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला

Scanned by CamScanner